

कार्यालय कलेक्टर (जिला योजना एवं सांख्यिकी शाखा) जिला-मुंगेली(छ.ग.)

कमांक/322/स्था./2012

मुंगेली, दिनांक²⁶/11/2012

छ.ग. शासन योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय रायपुर के पत्र कं./एफ 1-32/2011/23 रायपुर दिनांक 14-05-2012 के अनुसार जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय मुंगेली में संविदा भर्ती हेतु आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों से दिनांक 10-12-2012 तक आमंत्रित किए जाते हैं।

कं.	कार्यालय / शाखा का नाम	पदनाम	रिक्त पदों का आरक्षण रेस्ट्र																महा योग	
			अनुसूचित जनजाति				अनुसूचित जाति				अन्य पिछड़ा वर्ग				अनारक्षित					
			मुक्त	महिला	शिक लांग	योग	मुक्त	महिला	शिक लांग	योग	मुक्त	महिला	शिक लांग	योग	मुक्त	महिला	शिक लांग	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय	सांख्यिकी पर्यवेक्षक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
		सांख्यिकी अन्वेषक	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	3
		योग :-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	4	4

संविदा पद पर नियुक्ति 31 मार्च 2013 तक के लिए की जावेगी।

1. सांख्यिकी पर्यवेक्षक पद हेतुवेतन एवं योग्यताएं :-

मासिक संविदा वेतन :- रुपये 13700.00 एकमुश्त।

अनिवार्य योग्यताएं :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित, समाजशास्त्र विषयों में से किसी एक विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (मास्टर्स डिग्री)।

वांछनीय योग्यताएं :-

अंग्रेजी व स्थानीय भाषा का ज्ञान

कम्प्यूटर एप्लीकेशन जैसे :- एम.एस. ऑफिस एवं सांख्यिकी टूल्स का ज्ञान।

2. सांख्यिकी अन्वेषक पद हेतु वेतन एवं योग्यताएं:-

मासिक संविदा वेतन :- रुपये 9120.00 एकमुश्त।

अनिवार्य योग्यताएं :-

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, वाणिज्य, गणित, समाजशास्त्र में से कम से कम एक विषय लेकर स्नातक की उपाधि (बिचलर डिग्री)।

वांछनीय योग्यताएं :-

अंग्रेजी व स्थानीय भाषा का ज्ञान

कम्प्यूटर एप्लीकेशन जैसे :- एम.एस. ऑफिस एवं सांख्यिकी टूल्स का ज्ञान।

नियम एवं शर्तें:-


1. आयु सीमा :-

(क) आयु दिनांक 1-1-2012 की स्थिति में न्यूनतम 18 व अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। शासन द्वारा समय-समय में दी गई आयु सीमा में छूट का प्रावधान रहेगा।

(ख) सामान्य वर्ग के आवेदक की आयु (छ.ग. के नियासी हेतु) दिनांक 1-1-2012 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष तथा अन्य विशेष वर्ग जैसे -अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग आदि के लिए अधिकतम आयुसीमा में जो छूट है वह लागू रहेगी, परन्तु उपरोक्त सभी प्रकार के छूट को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

2. विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
3. छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी ही भर्ती के लिए पात्र होंगे।
4. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन अनिवार्य है।
5. उपरोक्त पदों हेतु उम्मीदवार वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति सहित दिनांक 10-12-2012 को शाम 05.00 बजे तक जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय मुंगेली, कलेक्टर परिसर, पिन कोड- 495334 के पते पर प्रेषित कर सकते हैं। आवेदन छत्तीसगढ़ के वेबसाइट- www.cg.gov.in पर भी उपलब्ध है।
6. एक से अधिक रिक्त पदों में भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक रूप से आवेदन करना होगा।
7. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। नियुक्ति होने पर 1 माह के भीतर छानबीन समिति के द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
8. उम्मीदवार को अपनी आयु के समर्थन में हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. इस विज्ञापन जारी होने के पूर्व प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं किए जावेंगे।
10. किसी भी उम्मीदवार को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।
11. शासन द्वारा भर्ती नियम में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है या निर्देश जारी किया जाता है तो इस विज्ञापन में लागू होगा।
12. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर मुंगेली का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
13. अपूर्ण, अस्पष्ट अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र के संबंध में पृथक से कोई सूचना जारी नहीं की जावेगी एवं ऐसे आवेदन अमान्य कर दिए जावेंगे।
14. विज्ञापित पदों की संख्या परिवर्तनीय है। जिसे बढ़ाया अथवा कम किया जा सकता है और निरस्त भी किया जा सकता है।

15. विकलांग उम्मीदवार को विकलांगता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
16. प्रमाण पत्रों के परीक्षण के समय आवेदक को अपना शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।
17. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जावेगी। साथ ही संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
18. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
19. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें एक का जन्म 26-1-2001 को या उसके पश्चात हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
20. विवाहित महिला उम्मीदवारों को नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी दस्तावेज/शपथपत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
21. उम्मीदवार का नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर चिपकाया जावे। फोटोग्राफ राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित हो।
22. उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा। आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आवेदन का नाम व पता, आवेदित वर्ग का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जावे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा तथा पांच रुपये का टिकट लगा एक लिफाफा संलग्न किया जावे।
23. विज्ञापन के संबंध में नवीन सूचनाएं जिले की वेबसाईट पर तथा समाचार पत्रों में देखी जा सकती हैं।
24. उम्मीदवारों का चयन न्यूनतम योग्यता प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जावेगा। कम्प्यूटर प्रमाणपत्र धारी को प्राथमिकता दी जावेगी।
25. आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र एवं दस्तावेजों की चेक लिस्ट :-
 - i. हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र एवं अंकसूची।
 - ii. स्नातक परीक्षा प्रमाण पत्र एवं अंकसूची।
 - iii. स्नातकोत्तर परीक्षा प्रमाण पत्र एवं अंकसूची।
 - iv. निवास प्रमाण पत्र।
 - v. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन।
 - vi. उचित स्थान पर हस्ताक्षर।
 - vii. कम्प्यूटर प्रमाणपत्र।


 कलेक्टर
 जिला-मुंगेली (छ.ग.)

7. शैक्षणिक योग्यता

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	श्रेणी	विषय	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत

8. अन्य अनुभव :

क्र.	पद	संस्थान	अवधि	अनुभव का विवरण

9. क्या उम्मीदवार विवाहित है / नहीं
 10. यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि

11. जीवित बच्चों की संख्या

क्रमांक	नाम	धर्म	जन्मतिथि

12. संलग्नकों की सूची :-

- 1.
- 2.
- 3.

घोषणा - पत्र

मैं एलद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैंने विज्ञापित पद की पात्रता की शर्तों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा मैं इसके लिये पात्र हूँ। जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां सत्य और सही हैं। मुझे मालूम है कि यदि कोई जानकारी असत्य एवं गलत पायी जावेगी तो मेरा आवेदन निरस्त किया जावेगा और परीक्षा में उर्तीण एवं चयन के उपरांत भी मेरा चयन या मेरी नियुक्ति निरस्त की जावेगी। जिसके विरुद्ध मेरे द्वारा कोई दावा प्रस्तुत करने का अधिकार मुझे नहीं होगा। मांगे जाने पर मूल दस्तावेज/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करूंगा/करूंगी।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर